न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या :— 02/2024

प्रार्थीः—

मालसिंह उर्फ मालाराम पुत्र बुधसिंह उर्फ बुधाराम जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक शाखा इन्द्राणा तहसील सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

श्री महेन्द्रसिंह सोढा प्रार्थी वकील

—:: आदेश ::—

दिनांकः—12.06.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि खसरा संख्या 910/62, 919/67, 921/67, 926/76, 912/64, 916/65, 917/66 व 920/67 कुल रकबा 02.7442 हैक्टेयर ग्राम गुड़ा तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में उसका वास्तविक नाम "मालसिंह पुत्र बुधसिंह" ही दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम मालसिंह पुत्र बुधसिंह के स्थान पर 'मालाराम पुत्र बुधाराम' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तह[illegible] सिवाना के पत्र कमांक—भू.अ./2024/1238 दिनांक 05.08.2024 द्वारा प्रार्थी के [illegible] नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने [illegible] में आधार कार्ड, [illegible] कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय [illegible] आदि प्रस्तुत किये। आ[illegible] के समर्थन में सहखातेदार चेनाराम पुत्र खेताराम के बयान कलमबद्ध करवाये गये।

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय में प्रार्थी का वास्तविक नाम ''मालसिंह पुत्र बुधसिंह'' दर्ज है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम गुड़ा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 910/62, 919/67, 921/67, 926/76, 912/64, 916/65, 917/66 व 920/67 कुल रकबा 02.7442 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम ''मालाराम पुत्र बुधाराम'' लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आदि दस्तावेजात में उनका नाम मालसिंह पुत्र बुधसिंह दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम मालाराम पुत्र बुधाराम दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम मालसिंह पुत्र बुधसिंह होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गुड़ा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 910/62, 919/67, 921/67, 926/76, 912/64, 916/65, 917/66 व 920/67 कुल रकबा 02.7442 हैक्टैयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'मालाराम पुत्र बुधाराम' के स्थान पर 'मालसिंह पुत्र बुधसिंह' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। **प्रार्थी द्वारा रहन मुक्त का प्रमाण पत्र अथवा संबंधित बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पश्चात्** ही तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्रसिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)